कार्यालय मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियात्रिंकी विभाग,
"जल भवन" जैकब रोड, 2–सिविल लाईन्स, जयपुर
दूरभाष (का.) 0141–2222241 (फैक्स) 0141–2222585

क्रमांक–एफ.II (32)जनस्वा./का/भर्ती/2015–16/11030 दिनांक : 06-01-2017

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14822/2016 दुर्गाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3988/2014 जनता जलयोजना मजदूर संघ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 17913/2016 तथा अन्य 29 याचिकाओं में दिनांक 22.12.2016 को पारित निर्णय की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 11.11.2016 के क्रम में राज. अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जन स्वा.शाखा) नियम 1967 के प्रावधानों के अन्तर्गत तकनीकी संवर्ग के पम्पड्राईवर–II, फिटर–II, इलेक्ट्रीशियन–II, मीटर रीडर, लाईनमेन–II एवं हैल्पर के पदों पर सीधी भर्ती 2013 के लिये जनता जलयोजनाओं पर कार्यरत समस्त पात्र श्रमिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. आवेदन प्रपत्र विभागीय बेवसाईट www.rajwater.gov.in पर उपलब्ध है, जिसकी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर, आवेदनकर्ता वांछित दस्तावेजों के साथ संबंधित वृत कार्यालय अर्थात अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः जमा करवायेंगे।
2. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क संबंधित वृत कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करवायेंगे।
3. उक्त आवेदन जनता जलयोजनाओं पर कार्यरत वे समस्त श्रमिक ही प्रस्तुत कर सकेंगे, जो कि दिनांक 08.08.2013 की विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने के पात्र है। उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध है।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 16.01.2017 की प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 31.01.2017 की सांय 6.00 बजे तक है, इसके पश्चात् आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. ज्ञातव्य है कि केवल जनता जलयोजनाओं में कार्यरत श्रमिक ही उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के पात्र हैं। अन्य किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
6. आवेदनकर्ता स्वयं के जनता जलयोजना में कार्य करने का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगें।
7. आवेदन की प्रणाली अर्थात् Mode Online के स्थान पर Offline होगा।
8. सीधी भर्ती के रिक्त पदों का वृतवार वर्गीकरण दिनांक 08.08.2013 की विज्ञप्ति अनुसार है।
9. ध्यान रहे कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व (वर्ष 2013) में ऑनलाईन आवेदन जमा करवा दिये हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की (चाहे उन्होनें आवेदन शुल्क वापस ले लिया है तब भी) आवश्यकता नहीं है।

६।०।५६ ५.१.२०१७

(आई.डी. खान)
मुख्य अभियन्ता (प्रशासन),
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर